कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 409/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.10.2026

☐ थाना गम्भीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पुलिस मुठभेड़ में गोकशी में संलिप्त 02 सगे भाई गिरफ्तार, पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने वाले अभियुक्त जमील के बाएं पैर में लगी गोली।

☐ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, प्रतिबंधित पशु के अवशेष, लोहे का चापड़, मोटरसाइकिल एवं अवैध तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 मिस कारतूस बरामद; गिरफ्तार अभियुक्त सलमान का पूर्व में गोवध निवारण अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत आपराधिक इतिहास।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.10.2026 की रात्रि में थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी मय पुलिस टीम थाना गम्भीरपुर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा गोतस्करी एवं गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरसेना खालसा के कुछ व्यक्ति प्रतिबंधित पशु का वध कर मांस बेचने के बाद बचे अवशेषों को मोटरसाइकिल से अन्यत्र ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा खराटी से आवक मोड़ के पास घेराबंदी की गई। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा रोकने पर अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त जमील के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा घायल जमील तथा उसके साथी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु पीएचसी मुहम्मदपुर भेजा गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. जमील पुत्र स्व. मोबिन, निवासी ग्राम लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष। (घायल)
2. सलमान पुत्र स्व. मोबिन, निवासी ग्राम लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

10 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु के मांस एवं 01 प्रतिबंधित पशु के अवशेष।
01 लोहे का चापड़।
01 मोटरसाइकिल।
01 अवैध तमंचा .315 बोर।
02 खोखा कारतूस .315 बोर एवं 01 मिस कारतूस .315 बोर।

पूछताछ का विवरणः-

प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आसपास घूमने वाले छुट्टा प्रतिबंधित पशुओं को पकड़कर सुनसान स्थानों पर ले जाते थे तथा उनका वध कर मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचने हेतु

उपलब्ध कराते थे। मांस की बिक्री से प्राप्त धन को आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि मांस की बिक्री से प्राप्त धन से अवैध असलहा खरीदकर रखते थे, ताकि विरोध होने पर लोगों को डराकर मौके से भाग सकें। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के अन्य साथियों की संलिप्तता के संबंध में जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त जमील पुत्र स्व. मोबिन

मु0अ0सं0 255/2026, धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5), 111 बीएनएस, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

2. अभियुक्त सलमान पुत्र स्व. मोबिन

मु0अ0सं0 255/2026, धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5), 111 बीएनएस, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 140/2017, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 206/2018, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोगः-

1. थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 255/2026, धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5), 111 बीएनएस, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. अमित कुमार त्रिपाठी, थानाध्यक्ष गम्भीरपुर।
2. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा।
3. उ0नि0 योगेश सरोज।
4. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार यादव।
5. हे0का0 सुरेन्द्र प्रताप।
6. का0 अजीत पटेल।
7. का0 हैदर अली।
8. का0 सुरेश कुमार राजभर।
9. का0 श्री कुमार।
10. का0 अभिनन्दन यादव।
11. का0 मिथिलेश यादव।
12. म0का0 स्वाति जायसवाल।
13. का0 कौश्तुभ कुमार।
14. का0 अन्तेश पाण्डेय।
15. का0 रमेश यादव एवं अन्य पुलिसकर्मी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा गोतस्करी एवं गोकशी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी है।

थाना–रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

□ मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत थाना रानी की सराय पुलिस ने 16 वर्षीय किशोरी एवं 34 वर्षीय महिला को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द।

□ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दो परिवारों को मिली राहत, परिजनों ने व्यक्त किया आभार।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री नवीन अरोरा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में जनपद में मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सहायता तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 26.10.2026 को वादिनी थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं, दिनांक 25.10.2026 को वादी थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी 34 वर्षीय पत्नी के गुड हेल्थ मल्टीस्पेशलिटी, चेकपोस्ट रानी की सराय से बिना बताए चले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया।

दोनों प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रानी की सराय के नेतृत्व में मिशन शक्ति 6.0 टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने दोनों को सकुशल बरामद कर किशोरी उजाला को उसकी माता प्रेमशिला देवी तथा महिला ज्ञानमती को उसके पति प्रवेश यादव के सुपुर्द किया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—
1. उ0नि0 शाहिद खान
2. म0उ0नि0 श्वेता दुबे
3. म0आ0 सुनीता
4. म0आ0 जूही पाण्डेय
5. म0आ0 नीलम वर्मा

थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा की गई त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से दोनों परिवारों को राहत मिली। परिजनों ने पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

□ मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ 'नई-किरण' की पहल से दो परिवारों में कराया गया सुलह-समझौता।
□ एडीजी श्री नवीन अरोरा, डीआईजी श्री सुनील कुमार सिंह एवं एसएसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में पारिवारिक विवादों के निस्तारण की पहल।

अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री नवीन अरोरा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के साथ-साथ पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में दिनांक 26.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ 'नई-किरण' में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 08 पत्रावलियों में पक्षकारों को बुलाया गया, जिनमें 06 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। काउंसलिंग एवं आपसी समझाइश के माध्यम से 02 प्रकरणों में सुलह-समझौता कराया गया, जबकि 02 पत्रावलियां अन्य कारणों से बंद की गईं। शेष प्रकरणों में सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि निर्धारित की गई।

सुलह-समझौता किए गए प्रकरण—
1. मीनू यादव पुत्री सत्यनारायण, निवासी ग्राम मातनपुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. उजाला पुत्री अच्छेलाल, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़।

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ 'नई-किरण' का उद्देश्य आपसी संवाद एवं काउंसलिंग के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों को टूटने से बचाना तथा पारिवारिक सौहार्द बनाए रखना है।

बैठक में काउंसलर प्रो0 राकेश यादव, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार साह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांकः 26.10.2026
जनपद–आजमगढ़

☐ थाना तरवां पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त तथा थाना रौनापार पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म एवं धमकी देने के अभियोग में नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

☐ दोनों थाना क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित।

थाना तरवां—

पूर्व की घटना: वादी रामसरेख यादव पुत्र स्व0 इन्द्रदेव यादव, निवासी ग्राम पड़री, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 09.10.2026 की रात्रि में उनके खेत में लगे ट्यूबवेल का ताला तोड़कर मोनोब्लॉक, स्टार्टर एवं स्टेपलाइजर तथा पड़ोसी खेत से भी स्टेपलाइजर चोरी कर लिया गया। इस संबंध में दिनांक 10.10.2026 को मु0अ0सं0 206/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी: दिनांक 26.10.2026 को उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त मनीष यादव उर्फ झिनकू पुत्र बद्री, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी भिखारीपट्टी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को नूरपुर-भंवरपुर पुलिया के पास से समय करीब 09:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

थाना रौनापार—

पूर्व की घटना: वादिनी थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर करीब एक वर्ष से शारीरिक संबंध बनाए गए तथा चोरी से फोटो/वीडियो बनाकर धमकाया गया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 305/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस एवं धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी: दिनांक 26.10.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमे में नामजद अभियुक्त अजीत विश्वकर्मा पुत्र गोरख विश्वकर्मा, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम सहनुपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को सहनुपुर तिराहे से समय करीब 13:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।